

कार्यालय कलेक्टर बैतूल एवं पदेन उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक 17 अ-82/2019-20/ टिपनापुर/5047 बैतूल, दिनांक 29/02/2020
घोषणा 30

चूंकि समुचित सरकार को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-


अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल(हे०मे)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म0प्र0)	आठनेर	टिपनापुर	13.161	घोघरी मध्यम् परियोजना

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे०	अर्जित रकबा हे०
1	2	3	4	5
1	नत्थू,सित्तू व. गणपति, जाति कुंडी, सा.जावरा भू-स्वामी	165 164/2	1.558 1.000	1.558 0.650
2	नारायण,चुन्नीलाल,शंकर व. नन्हू, चंपाबाई बे. नन्हू, दुरपताबाई पिता नन्हू, जाति मेहरा, पता सा.देह भू-स्वामी	131	0.277	0.277
3	मंहगीलाल व. इमरत जाति मेहरा, पता सा.देह भू-स्वामी	132	2.023	1.295
4	कमलू जौ.किशोरी जाति मेहरा, पता सा.पांडुर्णा भू-स्वामी	129/3	1.000	1.000
5	रामदास व. मुन्नालाल जाति, मेहरा, सा.देह भू-स्वामी	127	0.971	0.971
6	मनोहर,कमलेश व. मुन्नालाल जाति मेहरा सा.देह भू-स्वामी	126	0.972	0.972
7	गोमा व. सुकलाल, जाति कोरकु, सा.देह भू-स्वामी	133	0.672	0.202
8	श्रवण व. किशन,अर्चना जौ. जगदीश, जाति मेहरा, सा.देह भू-स्वामी	124	2.003	2.003
9	काशी जौ. साहेबलाल, जाति मेहरा सा.देह भू-स्वामी	123	1.112	1.112
10	रामजू, मिश्री,झींगर,साहेबलाल,नोखे व. अन्नु, रंजना, साहेबा, रामदुलारी,रामप्यारी पिता अन्नु, जाति मेहरा, सा.देह भू-स्वामी	122	1.020	1.020
11	रामजू,मिश्री,झींगर,साहेबलाल,नोखे व. अन्नु, रंजना,साहेबा, रामप्यारी पिता अन्नु, दिनेश व. बिरजू, चिन्धी सरु पिता बिरज्जु जाति मेहरा, सा.देह भू-स्वामी	121	1.049	1.049
12	मिश्री व. अन्नु, जाति मेहरा, सा.देह भू-स्वामी	140	2.023	1.052
	योग:-		15.680	13.161



- (2) चूंकि घोघरी मध्यम उद्वहन परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।



मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(राकेश सिंह) 29/5/2020
कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ0क0 17 अ-82/वर्ष 19-20 /टिपनापुर/ 5047
प्रतिलिपि:-

बैतूल दिनांक 29 मई 2020

- 1- उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजगढ़ भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 2- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा वानरोगी चौराह के राज, भोपाल को सूचना (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन बैतूल जिले में सर्वाधिक प्रकाशित दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करे।
- 3- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग कनांक-2 बैतूल ओर अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन के पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- 4- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन आई सी) बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित।
- 5- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 6- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भैसदेही की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- तहसीलदार आठनेर की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित। एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल ग्राम पंचायत पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 8- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।

अपर कलेक्टर एवं
प्र0अ0भू-अर्जन शाखा बैतूल